

संख्या- 3/2017/607/33-1-2017-517/17

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त जिलाधिकारी,  
30प्र0 ।

2-समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,  
30प्र0।

पंचायती राज अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 10 अप्रैल, 2017

विषय:- शासन के अग्रिम आदेशों तक ग्राम पंचायतों द्वारा टेण्डर निर्गत करने/भुगतान करने एवं संविदा/आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्ति पद रोक तथा टेण्डर प्रक्रिया एवं भुगतान पर लगी रोक हटाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासन के संज्ञान में लाये गये कतिपय तथ्यों के आलोक में शासनादेश सं0-517/33-1-2017, दिनांक 24.3.2017 द्वारा निम्नवत् निर्देश निदेशक, पंचायतीराज, 30प्र0 एवं मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पंचायतीराज निदेशालय को दिये गये थे :-

प्रस्तर-2 "शासन के अग्रिम आदेशों तक विभाग में टेण्डर प्रक्रिया प्रारम्भ न की जाय, जो चल रहा उसे स्थगित कर दिया जाय एवं इससे संबंधित सभी प्रकार के भुगतान रोक दिये जाय।"

प्रस्तर-3 "शासन के अग्रिम आदेशों तक संविदा/आउटसोर्सिंग के आधार पर कोई नियुक्ति न की जाय। यदि दि0 11.3.2017 के बाद कोई नियुक्ति की गयी हो तो उसकी सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाय।"

2- उक्त शासनादेश दिनांक 24.3.2017 में शासनादेश सं0-551/33-1-2017-517/17, दिनांक 31.3.2017 द्वारा कतिपय संशोधन किया गया, जिसके अनुसार टेण्डर प्रक्रिया प्रारम्भ न करने एवं सभी प्रकार के भुगतान पर लगी रोक को समाप्त कर दिया गया है, फिर भी जनपद स्तर पर यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है कि शासन द्वारा ग्राम पंचायतों के स्तर पर निर्गत किये जाने वाले टेण्डर प्रक्रिया तथा सभी प्रकार के भुगतान

पर रोक लगा दी गयी है। यह स्थिति उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट किया जाता है कि शासन द्वारा ग्राम पंचायतों के स्तर पर निर्गत किये जाने वाले टेण्डर प्रक्रिया एवं भुगतान पर लगायी गयी रोक को समाप्त कर दिया गया है। अतः ग्राम पंचायतें पूर्व की भांति नियमानुसार टेण्डर प्रक्रिया एवं भुगतान की कार्यवाही जारी रखेगी।

भवदीय,

( चंचल कुमार तिवारी )  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 607 (1)/33-1-2017-तद्विनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, पंचायतीराज, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पंचायतीराज निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ ।
- 3- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (प०) उ०प्र०।
- 4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( सुशील कुमार मौर्य )  
विशेष सचिव।